

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] No. 838] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015 /VAISAKHA 4, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1073(अ). - यत: दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कितपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 2570(अ) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में तेरह (13) आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे जिन पर दि.वि.प्रा. ने विचार किया, और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

निम्नलिखित सीमा विवरण सहित, जोन 'एफ' में एम्स अभिधात केन्द्र के विस्तार के लिए 6.05 हैक्टेयर और पुलिस स्टेशन के लिए 0.75 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग का मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) से सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (अस्पताल पीएस-1 और पुलिस स्टेशन) में परिवर्तन किया जाता है:-

1822 GI/2015 (1)

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो2021 एवं क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
जोन-एफ जेपीएन एपैक्स ट्रॉमासेंटर, चौ.झण्डू सिंह मार्ग, सफदरजंग एनक्लेव के समीप	6.80 हैक्टेयर (अस्पताल पीएस-I के लिए 6.05 हैक्टेयर और पुलिस स्टेशन के लिए 0.75 हैक्टेयर	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल पीएस-I, पुलिस स्टेशन)	उत्तरः एम्स ट्रॉमा सेंटर दक्षिणः जिला पार्क पूर्वः सफदरजंग अस्पताल एवं ई.एस.एस. पश्चिमः चौ. झण्डू सिंह मार्ग

<u>शर्तेः</u>

- i) रोपित पौधों और वृक्षों को हटाने पर कम से कम 20**%** अतिरिक्त प्रतिपूरक वन-रोपण किया जाए।
- ii) भू-स्वामित्व एजेंसी द्वारा संबंधित विभाग(गों) से उपर्युक्त भू-भाग पर लगे हुए पेड़ों को काटने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त की जाएगी।

[सं. के-13011/2/2011-डीडी-I]

सुनील कुमार,अवर सचिव(दिल्ली प्रभाग-I)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

S.O.1073 (E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2570 (E) dated 1st October, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- 2. Whereas thirteen (13) objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications which were considered by DDA; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

MODIFICATIONS:

The Land Use of land measuring 6.05 Ha. for expansion of AIIMS Trauma Centre and 0.75 ha. for Police Station in Planning Zone-F from 'Recreational' (District Park) to Public and Semi-Public (Hospital PS-1 and Police Station) is changed with the following boundary description:-

Location	Area	Land use as per MPD-2021 & ZDP)	Land use change to	Boundaries
Zone-F:		'Recreational'	'Public and	North - AIIMS Trauma
Adjacent to JPN	6.80 Ha.	(District Park)	Semi-Public use	Centre
Apex Trauma	(6.05 Ha. for		(Hospital PS-1	
Centre,	Hospital PS-1		Police Station)	South - District Park
Ch. Jhandu Singh	and 0.75 ha.		·	
Marg, near	for Police			East - Safdarjung
Safdarjung	Station			Hospital and ESS.
Enclave				West - Ch. Jhandu Singh
				Marg,

Conditions:

- i. Atleast 20% additional compensatory afforestation should be carried out to account for the mortality rate of saplings and variety of trees planted;
- ii. For cutting of trees on the above mentioned plot, requisite clearance from the concerned department(s) shall be obtained by the land owning agency.

[No. K-13011/2/2011-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy. (Delhi Division-I)